राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

डी.बी. आयकर अपील संख्या 8/2025

प्रधान आयकर आयुक्त, (केंद्रीय), राजस्थान, कमरा नंबर 402, चौथी मंजिल, एलआईसी बिल्डिंग, भवानी सिंह रोड, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005।

----अपीलकर्ता

बनाम

पिंकसिटी ज्वेलहाउस प्राइवेट लिमिटेड, 76, धूलेश्वर गार्डन, जयपुर (पैन/जीआईआर संख्या-एएएसीएफ 8368 डी)।

----प्रत्यर्थी

अपीलकर्ता के लिए : श्री सिद्धार्थ बापना के साथ
श्री मेहूल मित्तल

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन

माननीय श्री न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार

आदेश

21/02/2025

1. आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 260ए के तहत यह अपील आयकर अपीलीय अधिकरण, जयपुर (संक्षेप में अधिकरण) के दिनांक 7.3.2024 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी-कंपनी का कर निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए अधिनियम की धारा 143(1) के तहत 05.08.2016 को निर्धारण

(31/05/2025 को 11:32:42 AM पर डाउनलोड किया गया)

किया गया था। प्रत्यर्थी के परिसर पर किए गए सर्वेक्षण के आधार पर, पुनः निर्धारण कार्यवाही शुरू की गई थी। यह कार्यवाही दिनांक 17.12.2018 के पुनः निर्धारण आदेश में समाप्त हुई और निर्धारण अधिकारी (संक्षेप में 'एओ') ने अधिनियम की धारा 10एए के तहत कटौती को अस्वीकार कर दिया। 25.02.2019 को, पुनः निर्धारण आदेश को सुधारा गया। पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 17.3.2021 के आदेश के माध्यम से निर्धारण और सुधार आदेशों को रद्द कर दिया और मामले को प्रत्यर्थी की अधिनियम की धारा 10एए के तहत छूट का दावा करने की पात्रता के संबंध में निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद नए सिरे से निर्धारण करने के लिए वापस भेज दिया। प्रत्यर्थी अधिकरण के समक्ष सफल रहा, पुनरीक्षण आदेश को रद्द कर दिया गया। इसलिए, यह वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने परिपत्र 9 दिनांक 17.9.2024 के दृष्टिगत अपील के रखरखाव के संबंध में आपत्ति उठाई है। तर्क यह है कि एकमात्र विवाद धारा 10एए के तहत दावा की गई कटौती के संबंध में है और यदि विभाग सफल होता है और पूरी कटौती अस्वीकार कर दी जाती है, तो कर प्रभाव दो करोड़ से कम होगा।

4. अपीलकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि परिपत्र 9 परिपत्र 5 दिनांक 15.03.2024 में प्रदान किए गए अपवादों को बनाए रखता है। तर्क यह है कि यह अपील 2024 के परिपत्र 5 के पैरा 3.1 के खंड एफ में अपवाद के भीतर आती है। अपील ~~रखरखाव योग्य~~पोषणीय है क्योंकि आदेश अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित किया गया है और कर प्रभाव को मात्राबद्ध नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील निर्देशों पर निष्पक्षता से प्रस्तुत करते हैं कि भले ही पूरी कटौती अस्वीकार कर दी जाती है, कर प्रभाव ₹1,32,00,000/- होगा।

(31/05/2025 को 11:32:42 AM पर डाउनलोड किया गया)

परिपत्र 5 के पैरा 3.1 का खंड एफ इस प्रकार पढ़ता है:-

> "च. जहां कर प्रभाव मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है या शामिल नहीं है, जैसे कि अधिनियम की धारा 10(23सी), 12ए/12एए/12एबी के तहत ट्रस्ट या संस्थाओं के पंजीकरण का मामला, अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित आदेश, आदि। यहां संदर्भित धाराओं से जुड़े मामलों का संदर्भ, जहां कर प्रभाव को मात्राबद्ध करना संभव नहीं है या कर प्रभाव शामिल नहीं है, केवल उदाहरण के उद्देश्य के लिए है।"

5. अपीलकर्ता के वकील का तर्क योग्यता में कम है। 'कर मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है' और 'कर मात्राबद्ध नहीं किया गया है' के बीच एक अंतर है। अपवाद अधिनियम की धारा 263 के तहत पारित आदेश के लिए है जहां कर प्रभाव मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है। विभाग के मामले को उच्चतम मानते हुए और यहां तक कि अगर पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो कर प्रभाव दो करोड़ से कम होगा।

6. मांग को मात्राबद्ध नहीं किया गया होगा लेकिन ~~प्रत्यावर्तन~~प्रतिपेषण धारा 10एए के तहत दावा की गई कटौती के संबंध में था और अधिकतम कर प्रभाव को इस चरण पर मात्राबद्ध किया जा सकता है, जो दो करोड़ से कम होगा।

7. उपरोक्त के दृष्टिगत, परिपत्र 9 दिनांक 17.9.2024 के दृष्टिगत अपील को ~~स्वस्थाव योग्य~~पोषणीय न होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रस्तावित सारभूत विधि प्रश्न को खुला रखा जाता है।

(आशुतोष कुमार), जे ——(अवनीश झिंगन), जे

बृजेश

क्या रिपोर्ट करने योग्य: हाँ

~~(31/05/2025 को 11:32:42 AM पर डाउनलोड किया गया)~~

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़

(31/05/2025 को 11:32:42 AM पर डाउनलोड किया गया)